GOVERNMENT OF INDIA/BHARAT SARKAR
MINISTRY OF RAILWAYS/RAIL MANTRALAYA
(RAILWAY BOARD)

S.No.PC-V/15 **RBE No.165/97**
No. PC-V/97/I/RSRP/1 **New Delhi, dated 20.11.97**

The General Managers,
All Indian Railways/Production Units
(As per Standard Mailing List)

Sub :- V Pay Commission's recommendations - grant of additional increment on account of stagnation in existing scale.

Ref :- Board's notification No. PC-V/97/I/RSRP/1 dated 8th Oct'97

References have been received from some Railways seeking clarification as to whether the increment granted under proviso-3 of Rule-8 of Board's notification quoted above is to be given to all those who are stagnating at the maximum of their pay scale for more than one year as on 1.1.96 including those who are in receipt of stagnation increment(s).

2. The matter has been considered in detail in Board's office and it is clarified that the increment in question will be admissible to all those employees who are stagnating at the maximum of their pay scale for more than one year as on 1.1.96 including those who are in receipt of stagnation increment(s). It is also clarified that the one year period is to be reckoned w.e.f. the date of drawal of pay at the maximum of the scale and not from the date of drawal of stagnation increment.

3. This issues with the concurrence of the Finance Directorate.

4. Hindi version will follow.

5. This disposes of Western Railway's letter No. E(PC) 767/O dated 5.11.97.

(Rahul Jha)
Executive Director, Pay Commission
Railway Board

Copy forwarded to :-

1. The GM N.F. Railway (Const.), CAOs, Southern Railway (Const.) and Central Railway(Const.)
2. The FA & CAOs, All Indian Railways, Production Units, N.F. Railway (Const.) and Southern Railway (Const.)
3. The Director General, RDSO/Lucknow
4. The General Manager and FA & CAO, Metro Railway/Calcutta
5. The General Manager and FA & CAO, COFMOW/New Delhi
6. The General Manager and FA & CAO, CORE/Allahabad

7. The Principal, Railway Staff College/Vadodara
8. The CAO (Const.), MTP(R)/Mumbai
9. The CAO (Const.), MTP(R)/Chennai
10. The Director, CAMTECH/Gwalior-474020
11. The Director, IRICEN/Pune, IRIEEN/Nasik Road, IRIMEE/Jamalpur, IRISET/Secunderabad
12. The Managing Director, RITES, IRCON, IRFC, CONCOR of India Limited, Executive Director, CRIS
13. The Chairman and Managing Director, KRC Limited/New Delhi
14. Office of the Chief Project Administrator (Telecom), Indian Railway Central Organisation for Telecom (IRCOT) Consultancy, Shivaji Bridge/New Delhi
15. The Director (Movement), Railways/Calcutta
16. The Joint Director(Finance), RDSO, Lucknow
17. The Joint Director, Mil Rail, Ministry of Defence
18. The Joint Director, Iron & Steel, 3, Kolla Ghat Street/Calcutta
19. Chief Mining Advisor, Ministry of Railways, Dhanbad, Bihar
20. The Chairman, RCC, Lok Sabha Secretariat/New Delhi
21. The Chairman, RCT/Delhi
22. The Chairman, RRT/Chennai
23. The Chairman, RRB/Ajmer, Ahmedabad, Allahabad, Bangalore, Bhopal, Bhubaneshwar, Chandigarh, Chennai, Calcutta, Jammu, Gorakhpur, Guwahati, Malda, Mumbai, Muzaffarpur, Patna, Ranchi, Secunderabad and Trivandrum
24. The Editor, 'Bhartiya Rail',
25. The Editor 'Indian Railways'
26. Chairman, Passenger Services Committee
27. Member, Passenger Amenities Committee
28. The Pay & Accounts Officer, Ministry of Railways (Railway Board)
29. The General Secretary, IRCA/New Delh
30. The Commissioner, Railway Safety/Lucknow
31. Shri T.K. Biswas, Railway Adviser, Embassy of India, Baunscheidt Strasse -7/Bonn
32. Liaison Officer, V CPC, Zonal Railways/PUs/RDSO/Trg. Institutes/Metro Railway/COMOW/CORE/RSC etc.
33. M/s Bahri Brother, Lajpat Rai Market/Delhi

(Rahul Jha)
Executive Director Pay Commission,
Railway Board

No. PC-V/97/I/RSRP/1 **New Delhi, dtd. 20 .11.1997**

Copy (with 40 spares) forwarded to ADAI (Railways), New Delhi.

DA : As above **for Financial Commissioner, Railways**

No.PC-V/97/I/RSRP/1 **New Delhi, dtd. 20 .11.1997**

भारत सरकार
रेल मंत्रालय(रेलवे बोर्ड)

क्र.सं.पी.सी.V/15 आर.बी.ई सं.165/97

सं.पी.सी.V/97/आई/आर.एस.आर.पी./1 नई दिल्ली, दि0 20-11-98

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें/उत्पादन इकाइयां.
(मानक डाकसूची के अनुसार)

विषय: पांचवे वेतन आयोग की सिफारिशें- मौजूदा वेतनमान में गतिहीनता के कारण अतिरिक्त वृद्धि प्रदान करना.

.....

संदर्भ : बोर्ड के दिनांक 8.10.97 की अधिसूचना सं. पी.सी.V/97/आई,आर.एस.आर.पी./1.

.....

कुछ रेलों से पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें इस बात के स्पष्टीकरण मांगे गए हैं कि क्या बोर्ड की उपरोक्त उद्धृत अधिसूचना के नियम 8 के परन्तुक 3 के अन्तर्गत प्रदान की जाने वाली वेतनवृद्धि उन सभी कर्मचारियों को प्रदान की जाए जो 1.1.96 को एक वर्ष से भी अधिक समय से अपने वेतनमान में अधिकतम पर रहे हों तथा इसमें वे कर्मचारी भी शामिल हैं जो गतिहीनता वेतनवृद्धि (यां.) प्राप्त कर रहे हों.

2. मामले पर बोर्ड कार्यालय में विस्तार से विचार विमर्श किया गया है एवं यह स्पष्ट किया जाता है कि 1.1.96 को गतिहीनता वेतनवृद्धि प्राप्त करने वाले कर्मचारियों सहित उस तारीख को एक वर्ष से अधिक समय से अपने वेतनमान के अधिकतम पर रूके सभी कर्मचारियों को प्रश्नगत वेतनवृद्धि अनुमेय होगी. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि एक वर्ष की अवधि की गणना गतिहीनता वेतनवृद्धि प्राप्त करने की तारीख से न करके वेतनमान के अधिकतम पर वेतन प्राप्त करने की तारीख से की जाएगी.

3. इसे वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है.

4. इससे पश्चिम रेल के दि0 5.11.97 के पत्र सं. ई(पीसी)767/ओ का निपटारा हो जाता है.

(D) BRANCH
Signature
दिनांक
Date

(राहुल झा)
कार्यपालक निदे., वेतन आयोग,
रेलवे बोर्ड.

स.पी.सी.-V/97 / आई / आर.एस.आर.पी. / 1 नई दिल्ली, दिनांक-20-11-97

प्रतिलिपि निम्नलिखित को अग्रेषित -

1. महाप्रबंधक, पूर्वोत्तर सीमा रेल(निर्माण), मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, दक्षिण रेल(निर्माण) तथा मध्य रेल(निर्माण)
2. (महाप्रबंधक निर्माण), वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, सभी भारतीय रेलें, उत्पादन इकाईयां, पूर्वोत्तर सीमा रेल(निर्माण) तथा दक्षिण रेल (निर्माण)
3. महानिदेशक, अ.अ.मा.स. / लखनउ
4. महाप्रबंधक तथा वि.स. एवं मु.ले.अ. मेट्रो रेल / कलकत्ता
5. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी(आर), तथा वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, कॉफमो / नई दिल्ली
6. महाप्रबंधक तथा वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, कोर / इलाहाबाद
7. प्रिंसिपल, रेलवे स्टाफ कॉलेज / बडोदरा
8. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी(निर्माण), म.प.प.(आर) / मुम्बई
9. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी(निर्माण), म.प.प.(आर) / चेन्नई
10. निदेशक, कैमटेक / ग्वालियर-474020
11. निदेशक, (अ)इरिएन, नासिक, (ब)इरिसेन, पुणे, (स)इरिमी, जमालपुर, (द)इरिसेट, सिकंदराबाद
12. प्रबंध निदेशक, राइट्स, इरकॉन, आई.आर.एफ.सी., कॉनकोर इंडिया लि0, कार्यपालक निदेशक, किस
13. अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, कोंकण रेल निगम लि0 / नई दिल्ली
14. मुख्य परियोजना प्रबंधक का कार्यालय(दूरसंचार), इरकॉट, शिवाजी ब्रिज / नई दिल्ली
15. निदेशक(संचलन), रेलवे / कलकत्ता
16. संयुक्त निदेशक(वित्त), अ.अ.मा.सं. लखनउ
17. संयुक्त निदेशक, मिल रेल, रक्षा मंत्रालय / नई दिल्ली
18. संयुक्त निदेशक, लोहा एवं इस्पात, 3, कोयला घाट स्ट्रीट / कलकत्ता
19. मुख्य खनन सलाहकार, रेल मंत्रालय, धनबाद / बिहार
20. अध्यक्ष, आर.सी.सी., लोकसभा सचिवालय / नई दिल्ली
21. अध्यक्ष, आर.सी.टी. / दिल्ली
22. अध्यक्ष, आर.आर.टी. / चेन्नई
23. अध्यक्ष, रेल भर्ती बोर्ड / अजमेर, अहमदाबाद, इलाहाबाद, बेंगलूर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ., चेन्नई, कलकत्ता, जम्मू, गोरखपुर, गुवाहाटी, मालदा, मुंबई, मुज्जफरपुर, पटना, रांची, सिकंदराबाद तथा त्रिवेंद्रम
24. संपादक, 'भारतीय रेल'

25. संपादक, 'इंडियन रेलवे'
26. अध्यक्ष, यात्री सेवा समिति
27. सदस्य, यात्री सुविधा समिति
28. वेतन एवं लेखा अधिकारी, रेल मंत्रालय(रेलवे बोर्ड)
29. जनरल सेक्रेट्री, भारतीय रेल सम्मेलन
30. रेल संरक्षा आयुक्त/लखनउ
31. संपर्क अधिकारी, पांचवां केंद्रीय वेतन आयोग, क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाईयां/अ.अ.मा.स./प्रशिक्षण संस्थान/मेट्रो रेल/कॉफमो/कोर/रेलवे स्टाफ कॉलेज आदि

(राहुल झा)
कार्यकारी निदेशक, वेतन आयोग
रेलवे बोर्ड

सं.पी.सी.V/97आई/आर.एस.आर.पी/1 नई दिल्ली, दिनांक-20.11.97

ए.डी.ए.आई.(रेलवेज), नई दिल्ली (40 अतिरिक्त प्रतियों सहित)

कृते वित्त आयुक्त, रेलवे

सं. पी.सी.V/97/आई./आर.एस.आर.पी./1 नई दिल्ली, दिनांक -20.11.97

प्रतिलिपि निम्नलिखित को अग्रेषित -

जनरल सेक्रेट्री, एन एफ आई आर(35 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
जनरल सेक्रेट्री, ए आई आर एफ (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
राष्ट्रीय परिषद, विभागीय परिषद के सभी सदस्य तथा सचिव, कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली(90 अतिरिक्त प्रतियों सहित)

कृते सचिव, रेलवे बोर्ड